Since 1956

उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ

Uttar Pradesh Library Association (U.P.L.A.)

(सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 अन्तर्गत पंजीकृत) ; पंजीकरण संख्या (4554/1985-86)/1758/208

पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण

निर्देशिका 2026

उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा संचालित
(उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

अध्यक्ष
प्रो एम् पी सिंह

महामन्त्री
विनोद कुमार मिश्र

शिक्षाधिकारी
लाल जी मिश्र

www.upla.in

PROSPECTUS / GUIDELINES

प्राक्कथन

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी की संस्तुति के अनुसार उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ ने 1959 में उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय विज्ञान की परीक्षा संचालित करने के लिए एाक प्रमाण-पत्र स्तरीय प्रशिक्षण आरंभ किया था। योजना आयोग, भारत सरकार के एक 'पुस्तकालय कार्यवाही समूह' ने 1966 की रिपोर्ट में भी प्रमाण-पत्र स्तरीय प्रशिक्षण का दायित्व प्रदेशीय पुस्तकालय संघों पर छोडा गया था। संघ द्वारा संचालित यह प्रशिक्षण वर्ष 1959 से निरन्तर चलाया जा रहा है आरै यह उत्तर प्रदेश के 09 जनपीदों- आगरा, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झॉसी, फैजानाद, लखनऊ एवं वारणसी में यह प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुस्तकालयों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण सेवा उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा की जा रही है।

उद्देश्य

उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा संचालित पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छोटे तथा बड़े पुस्तकालयों में अर्धव्यावसायिक या अल्प प्रशिक्षित पदों पर कार्य कर सकने हेतु अपेक्षित तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में कई पदों की अनिवर्य योग्यता यह प्रमाण-पत्र है। इस प्रमाण-पत्र के प्रशिक्षित अभ्यर्थी उ0प्र0 शासन के जिला पुस्तकालयों के लिए भी अर्ह है।

प्रशिक्षण को मान्यता

इस प्रशिक्षण को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। प्रस्तुत नियमावली तथा पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत नियमों तथा शिक्षा संहिता पर आधारित है। प्रशिक्षण के उपरान्त सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, प्रयागराज द्वारा परीक्षा संचालित की जायेगी और उत्तीर्ण प्रशिक्षितार्थियों को प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

प्रशिक्षण की अवधि

इस प्रशिक्षण की अवधि 4 मास है। प्रशिक्षण प्रति वर्ष साधारणतः 01 जुलाई या किसी अन्य तिथि से प्रारंभ होता है।

पाठ्यक्रम

पेपर 1: पुस्तकालय संगठन संचालन
पेपर 2: पुस्तकालय सूचीकरण
पेपर 3: पुस्तकालय वर्गीकरण
पेपर 4: संदर्भ सेवा,पुस्तक चयन एवं प्रलेखन सेवा
पेपर 5: पुस्तकालय सूचीकरण प्रायोगिक
पेपर 6: पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक

प्रशिक्षण

चयनित छात्रों को पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न विषयों का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगिक प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा व्यवहारिक कार्यो का अभ्यास जनपद के प्रमुख चयनित पुस्तकालयों में कराया जायेगा।

पुस्तकालय

प्रशिक्षणार्थियों को प्रयोगार्थ प्रत्येक प्रशिक्षण विद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकों का संग्रह है जिसमें निरन्तर नई पुस्तको का समावेश किया जाता हैं।

प्रकाशन

प्रशिक्षणार्थियों के लेखन क्षमता के विकास हेतु उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों की एक मुख पत्रिका 'ग्रन्थालयी' का प्रकाशन किया जाता है।

परीक्षा

पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण की परीक्षा का संचालन एवं प्रामाण-पत्र वितरण सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदशे् शासन, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा। जो प्रशिक्षणर्थी किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रविष्ट एवं उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा पंजीकृत किया गया हो, निर्धारित पाठ्यक्रम नियमों के अनुसार प्रशिक्षण नियमित रूप से पूर्ण कर चुका हो एवं जिसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम न हो, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।

स्वर्ण पदक एवं श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र

सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा घोषित श्रेष्ठता सूची के अनुसार प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी को 'पंकज झुनझुन वाला स्वर्ण पदक' तथा श्रेष्ठिता सूची में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 'श्रेष्ठता प्रामण-पत्र' प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रशिक्षण केन्द्रो द्वारा अपने केन्द्र के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को भी पदक / प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

प्रवेश नियम

पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों हेतु कम से कम निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है:-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और पूर्णतया स्वस्थ होना चाहिए।
3. प्रवेश के लिए चयन के उपरान्त प्रत्येक विद्यार्थी को पंजीकृत चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी जो किसी पुस्तकालय में 2 वर्ष तक कार्य कर चुके हों या जिन्हें किसी संस्था द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है।
5. अनुसूचित एवं पिछडे वर्ग के छात्रों के लिए नियमानुसार स्थान सुरक्षित रहेंगें।

अभ्यर्थियों को प्रवेश के निमित्त अपने आवेदन-पत्र देने से पूर्व उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 वर्ष तक रहना आवश्यक है। शिक्षा निदेशक विशेष दशाओं में इस प्रतिबंध से अभ्यर्थियों को मुक्त कर सकते हैं।

प्रवेश के लिए प्रार्थना-पत्र

प्रवेशार्थ अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलीपियों के साथ उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकेंगें:-

1. हाई स्कूल की अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण हेतु)।
2. इण्टरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र
3. पुस्तकालय में कार्य करने के अनुभव का प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो।
4. अन्तिम संस्था के प्राचार्य अथवा सेवायोजक अथवा राजपत्रित अधिकारी का आचरण संबंधी प्रमाण-पत्र।
5. अन्य प्रमाण-पत्र या उपाधि यदि कोई हो।

आवेदन-पत्र पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा घोषित स्थान समय पर जमा किये जायेंगे।

अभ्यार्थियों का चयन

- पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को एक लिखित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पडे गा। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यार्थियों के सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन किया जायेगा।
- लिखित परीक्षा के उपरान्त प्रत्येक अभ्यर्थी को जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित एक चयन समिति के समकक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पडे गा।
- चयन, छात्र के शैक्षिक योग्यता, लिखित प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांको के योग के आधारित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

शुल्क

प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षिार्थी को उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। प्रवेश के उपरान्त शुल्क वापस नहीं होगा।

- आवेदन शुल्क रु. 200.00 (केवल दो सौ रुपये)
- पाठ्यक्रम शुल्क (परीक्षा शुल्क सहित) रु. 4000.00 (केवल चार हजार रुपये)